बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 127/08–09

1. **परिचयात्मक**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय थावे, गोपालगंज

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2002–2003

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग,बिहार पटना

(ध) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी

के नाम पदनाम और कार्यालय – श्री विश्वभ्भरराम अनुमण्डल पदाधिकारी (वि0प्र0से0) 3.11.01 से 13.1.2004 तक

(ङ.) अंकेक्षण अवधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों

एवं कर्मचारियों का नाम ,पदनाम तथा कार्यकाल –(i) श्री दिलीप कुमार, प्र0 वि0 पदाधिकारी वि0 प्र0 से0, कार्यकाल – 26.7.01 से 11.2. 2003 तक

(ii) श्री चित्रगुप्त कुमार प्र0 वि0 पदाधिकारी वि0 प्र0 से0 कार्यकाल– 11.2.03 से 31.1. 2006 तक

(iii) श्री सुनील कुमार आर्य, प्रधान सहायक सह लेखापाल कार्यकाल

– 1.4.02 से 31.3.2003 तक

(iv) श्री दिलीप कुमार वर्मा, नाजीर 1.4.02 से 31.3.03 तक सह भंडार पाल

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं

कर्मचारियों का नाम पदनाम – (i) श्री पुरूषोत्तम पासवान, प्र0 वि0 पदाधिकारी

(ii) श्री योगेन्द्र प्रसाद ,नाजीर

(iii) श्री अमर राम प्रधान सहायक सह लेखापाल

(छ) अंकेक्षकों का नाम – (i) श्री बलिराम यादव, व0 अं0 दलनेता

(ii) श्री देवानन्द सिंह व0 अं0 – 2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 6.9.2008

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 28.11.2008

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 23.2/3 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट 'क' पर देखा जाय।

(ठ) **अंकेक्षण का क्षेत्र :–**

प्रखण्ड विकास कार्यालय,थावे ,गोपालगंज दिनांक 11.8.94 से कार्य प्रारंभ किया पाया गया। इस लेखा का अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.1960 के निदेशानुसार सम्पन्न किया गया। जिला कोषागार गोपालगंज से निकासी एवं जमा की राशि का सत्यापन शत प्रतिशत कोषागार अभिलेखों से किया गया एवं सही पाया गया। पुराने अंकेक्षण प्रति वेदनो का अनुपालन के सत्यापन हेतु कार्यालय से माँग की गयी जो उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 02–03 तक शीर्ष 2515 'क' पंचायत शीर्ष में कोई आवंटन निकासी नही पायी गयी। शेष शीर्षो मे वेतनादि की राशि आवंटन से प्राप्त की पायी गयी एवं विकास मद की राशि जिला स्तर के कार्यालयों से चेक/ड्राफ्ट से प्राप्ति की गयी थी।

(ड) **वित्तिए समीक्षा**

(i) अंकेक्षण अवधि वर्ष 02–03 से संबंधित आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर दी गयी है। आवंटन व्यय विवरणी के अनुसार व्यय प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत थी। व्यय उपरान्त अवशेष बची राशि प्रत्यार्पित कर दी गयी थी। आवंटन से प्राप्त राशि के अलावें विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत वर्ष 02–03 में प्राप्त की गयी राशि से संबंधित प्रारंभण शेष,वर्ष 02–03 में कुल प्राप्तियाँ,कुल योग, वर्ष 02–03 में कुल व्यय और अन्त में दिनांक 31.3.03 का संवरण शेष की विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है । कुछ शीर्षो मे न तो प्राति पायी गयी न व्यय इसमें संवरण शेष वर्षो से ढोयी जा

रही है। इन शीर्षो की राशि को कोषागार में जमा करा दी जाय इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(ii) वर्ष 02–03 के सामान्य रोकड़ पुस्त के अनुसार रोकड़ का प्रारंभण शेष 1.4.02 का एवं संवरण शेष 31.3.03 का निम्नवत पायी गयी –

क्रमांक	रोकड़ की स्थिति	1.4.02 का प्रारभण शेष	31.3.03 का संवरण शेष
1	बैंको में जमा राशि	3494863=50	4491059=00
2	अभिश्रव रूप में राशि	131317=68	134592=66
3	अग्रिम रूप में राशि	87000=00	153388=00
4	एक ताला में राशि	244236=29	48485=81
		39,57,417=47	48,27,525=47

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एक ताला मे प्रारभ्भण शेष की अत्याधिक राशि रखी गयी थी। इस संबंध में नाजीर से पुछ ताछ करने पर बताया गया कि ''31 मार्च 02 का पैसा बैंक में जमा नही होने के कारण एक ताला में रखा गया था। आगे की तिथि में बैंक में जमा कर दी गयी है। ''कथन सत्य पाया गया। अभिश्रव एवं अग्रिम रूप में राशि को शून्य करने हेतु आवश्यक ठोस कारवाई अपेक्षित है।

(iii) वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 6.9.2008 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण रोकड़ के भौतिक सत्यापन कराने हेतु लिखित रूप से माँग की गयी जिसका तत्काल अनुपालन नही किया गया । अंकेक्षण कार्य समापन के समय निर्गत आपत्ति के संग सादे कागज पर सत्यापन प्रतिवेदन तैयार करके इस आशय के साथ '' रोकड़ बही का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया'' लौटाया गया। अनुपालन से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय सहायकों/पदाधिकारी को ''सवंरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन'' का अर्थ ही मालूम नही हो पाया है। अंकेक्षण क्रम मे अनुपालन पदाधिकारी के तत्पर नही होने के कारण भौतिक सत्यापन नही हो पाया। इस ओर विभागीय उच्चधिकारियों का ध्यान (सामान्य रोकड़ पुस्त दैनिक रूप से लिखा पाया गया मगर पदाधिकारी द्वारा उसे सत्यापित एवं हस्ताक्षरित नही किया गया था) पायी गयी कमियों में अपेक्षित सुधार की ओर आकृष्ठ कराया जाता है। पर्यवेक्षण के क्रम में नियंत्री पदाधिकारी लेखाओं के संधारण पर अधतन तिथि तक संधारण पर जोर दिया जाय।

(iv) इस कार्यालय में सभी शीर्षो मे कुल स्वीकृत /कार्यरत एवं रिक्त बल का व्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (घ) पर दी गयी है। शीर्ष 2515 'क' पंचायत में (ग्यारह) पद रिक्त पाय गये थे।

भाग –1

2. रूपये 662=00 प्रोत्साहन भत्ता का असमायोजित लम्बित अग्रिम वसूली योग्य :–

वर्ष 02–03 से संबंधित अग्रिम भुगतान एवं समायोजन की जाँच में पाया गया कि श्री मोहन प्रसाद ,प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को प्रोत्साहन भत्ता वितरण करने हेतु दिनांक 18.10.02 से आगे की विभिन्न तिथियों को अग्रिम भुगतान पंजी के पृष्ठ संख्या 70 एवं 76 पर कुल अग्रिम रूपये 4,87,445=00 दी गयी थी। इन अग्रिमों का समायोजन भी विभिन्न तिथियों को पायी गयी,अन्तिम समायोजन तिथि 4.3.04 तक कुल रूपये 486783=00 समायोजित कर ली गयी थी। शेष राशि (487445–486783)= 662=00 का समायोजन अंकेक्षण तक लम्बित पायी गयी श्री मोहन प्रसाद,बी0 ई0 ओ के जिम्मे।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि श्री प्रसाद तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित होकर कार्यरत है उनसे राशि जमा करने हेतु पत्राचार किया गया है। राशि जमा हो जाने पर इसकी सूचना विभाग का भेज दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि लम्बित अग्रिम राशि 662=00 की वसूली हेतु यथा शीध्र ठोस कारवाई अपेक्षित है। तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत् कराया जाय।

3. रूपये 503=26 ईट खरीद पर अधिक भुगतीत राशि वसूली योग्य :–

सुनिश्चित रोजगार योजना संख्या 2/01–02 की अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि रंजीत ईट उधोग, गबेन्द्री द्वारा दिनांक 28.2.02 को ईट खरीद पर्ची एक नम्बर ईट की आपूर्ति की मात्रा 693 अदद अंकित थी। मूल्य रू0 1684=70 प्रति हजार की दर से इस ईट अभिश्रव पर पारित एवं भुगतीत मूल्य रू0 1667=50 अंकित पाया गया था। स्वीकृत मूल्य दर रू0 1684=70 के हिसाब से ईट का वास्तविक मूल्य रू0 1164=24 होता है। यही राशि भुगतान योग्य मानी जाती है। जबकि (1667=50–1164=24) = 503=26 अधिक भुगतान किया गया था।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि रू0 503=26 अधिक भुगतीत राशि जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली कर सम्बधित शीर्ष में जमा करा ली जाय। तत्पश्चात वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को सूचित किया जाय।

योजना सं0 02/01–02 की विस्तृत विवरणी निम्नबत है।

1. योजना का नाम – ग्राम मुसौवा डेरा पर चौपाल का निर्माण पंचायत एकडेरवा,थावे
2. प्राक्कलित राशि – 66500=00
3. मापी पुस्त के अनुसार कराये गये कार्य का मूल्य –60,500=00
4. अभिकर्ता का नाम – श्री रोमेन्द्र साह, पं0 से0
5. कार्य प्रारंभण तिथि /योजना पूर्ण होने की तिथ – 25.01.02 एवं 3.9.02
6. योजना स्वीकृति आदेश – 61/16.1.02
7. भुगतान तिथियाँ – 25.1.02 –7500=00

28.2.02 –35000=00

28.3.02 – 15000=00

3.9.02 – 3000=00

60500=00

भाग –2

4. अंकेक्षण के द्वष्टान्त पर रू0 9,816 भविष्य निधि के असमायोजित अग्रिम की कटौती प्रारंभ :–

शीर्ष 2515 'ख' के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में ज्ञात हुआ कि श्री सुनील कुमार आर्य,सहायक को विपत्र संख्या 25/2000–01 से रू0 20,000=00 अस्थायी भविष्य नीधि अग्रिम उनके लेखा खाता संख्या जी0 पी0 जी काँल 312 में जमा राशि से निकासी कर दिनांक 14.4.01 को भुगतान की गयी थी। अग्रिम की कटौती माह मई 2001 से अगस्त 2002 तक कुल रूपये 10184=00 मात्र की पायी गयी । शेष राशि (20,000=00–10184=00)= 9816=00 की कटौती नही पायी गयी। कुछ अन्तराल बाद श्री आर्य का स्थानान्तरण जिला नजारत कार्यालय,गोपाल गंज में हो गया था। उनके '' अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र'' में शेष अग्रिम राशि की लंबित रह गयी कटौती की प्रविष्टि नही होने से नये पदस्थापन स्थान पर कटौती होने की प्रश्न ही नही उठता है।

इस संबंध में आपत्ति निर्गत कर पूछा गया तब वर्तमान प्रखण्ड नाजीर ने गोपाल गंज नजारत से जानकारी प्राप्त किया कि शेष राशि रू0 9816=00 की कटौती छुट गयी है। निर्गत आपत्ति से जिला स्थापना कार्यालय गोपाल गंज को अवगत कराते हुए की तीन बराबर किस्तो में कटौती कर ली जाय। अनुपालन में माह अक्टूबर 08 के वेतन विपत्र सं0 209/08–09 से रू0 3272 =00 1/3 की

कटौती प्रारंभ कर दी गयी है बताया गया। अनुपालन का सत्यापन भी अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया । शेष राशि 9816=00 की कटौती कैसे छुट गयी के कारण कई एक हो सकते है। अगर अंकेक्षण मे सबसे बड़ा कारण प्रखण्ड स्थापना के प्रधान सहायक सह लेखा पाल श्री सुनील कुमार आर्य का एक साथ प्रभार में होना प्रतीत होता है। इस ओर विशेष सर्तकता बरतने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ठ कराया जाता है।

अंकेक्षण का सुझाव है कि शेष बचे दो–बराबर किस्तों में राशि की कटौती पूर्ण हो जाने पर इसे आशय की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग पटना को दी जाय।

5. रूपये 1950= प्राइवेट जीप चालक की मजूदरी पर व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 'ख' के आकस्मिक व्यय अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 02–03 में सरकारी जीप संख्या बी आर0 28–4750 को प्राईवेट जीप चालकों से चलवा कर उसके मजदूरी मद में कुल रूपये 1950=00 भुगतान किया पाया गया जबकि इस प्रखण्ड में स्थायी जीप चालक श्री दीपक कुमार पदस्थापित थे। उनको नियमित प्रतिमाह वेतन भुगतान किया पाया गया । इस संबंध में आपत्ति निर्गत कर ऐसे भुगतान का औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके अनुपालन में बताया गया कारण ''स्थायी जीप चालक श्री दीपक कुमार समाहर्त्ता निवास पर प्रतिनियुक्त है, स्थायी जीप चालक के उपलब्ध नही रहने की स्थिति में तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा दैनिक मजदूरी पर जीप चालक रख कर कार्य लिया गया है तथा मजदूरी का भुगतान किया गया है। '' अनुपालन में दर्शायी गयी स्थिति के संदर्भ में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि उक्त कारण क्षणिक एवं तत्कालीन हो सकती है। लम्बी अवधि के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। जीप चालक श्री दीपक कुमार के साथ अद्यतन पुरानी स्थिति बनी हुई है थावे प्रखण्ड मे कोई जीप चालक भौतिक रूप से नही उपलब्ध है। इस व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है।

विभागीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल कर इस प्रथा पर विराम लगाने की कार्रवाई कर अपने मतव्य से वित्त(अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तब तक दैनिक मजदूरी के रूप में प्राइवेट जीप चालक को भुगतीत राशि रूपये 1950=00 को अंकेक्षण आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। दैनिक ढंग से जीप चालक को भुगतान की गयी राशि की व्यौरा है :–

विपत्र संख्या	उपाभिश्रव संख्या	दैनिक मजदूरी की तिथि एवं दर	जीप चालक का नाम पता	भुगतान तिथि
41/02–03	45/02–03	दि0 13.4.02 से 22.4.02	श्री राम नाथ	31.3.03

		कुल 10 दिन दर 50 रू0 प्रति कुल 500=00	माँझी ,एक डेरवा	
41/02–03	46/02–03	दि0 26.4.02 से 27.4.02 कुल 2 दिन दर 50 रू0 प्रति कुल 100=00	श्री राम नाथ माँझी ,एक डेरवा	31.3.03
41/02–03	134/02–03	दि0 25.7.02 से 8.8.02 तक कुल 15 दिन दर 50 रू0 प्रति कुल 750=00	बाल्मीकी सहनी,हीरापाकड़	31.3.03
41/02–03	338/02–03	दि0 6.10.02 से 17.10.02 तक कुल 12 दिन दर 50 रू0 प्रति कुल 600=00	बाल्मीकी सहनी,हीरापाकड़	31.3.03

कुल मजदूरी – 1950=00

6. रूपये 23813=00 वाहन इंधन एवं मरम्मती पर व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 02–03 के आकस्मिक अभिश्रव की जाँच में वाहन संख्या बी0 आर0 28–4750 के इंधन एवं मरम्मती पर व्यय से संबंधित अभिश्रवों के सत्यापन हेतु लौग बुक एवं हिस्ट्री बुक की माँग मौखिक एवं लिखित रूप में कार्यालप से की गयी जो उपलब्ध नही कराए गए । अंकेक्षण अवधि 02–03 में इस वाहन के इंधन एवं मरम्मती पर कुल व्यय राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ड.) पर द्रष्टव्य है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी भी इंधन खरीद पर्ची पर चालक का हस्ताक्षर अथवा यह इंधन लौग बुक के किस पृष्ठ पर अंकित है का उलेख नही पाया गया ।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन को देखने से ज्ञात होगा कि प्रथम अनुपालन प्रविष्टि को रद्ध कर प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी द्वारा स्वयं के हस्तलिखित अनुपालन में बताया गया कि ''प्रखण्ड नाजीर द्वारा बताया जा रहा है कि वाहन संख्या बी0 आर0 28–4750 का लौग बुक एवं हिस्ट्री बुक नजारत में उपलब्ध नही है जिसकी खोज बीन उनके द्वारा की जा रही है।'' लौग बुक/हिस्ट्री बुक नही मिलने की स्थिति में क्या किया जायेगा, इस पर कोई टिप्पणी नही है। ऐसी स्थिति में अंकेक्षण का स्पष्ट सुझाव है कि लौग बुक एवं हिस्ट्री बुक की खोज बीन करायी जाय। उपलब्ध हो जाने की स्थिति में विभागीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में दर्शायी गयी इंधन की मात्रा का सत्यापन लौग बुक से कराकर सुनिश्चित हो लिया जाय तत्पश्चात अपने मतव्य से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय। लौग बुक एवं हिस्ट्री बुक उपलब्ध नही होने की स्थिति में मुख्य सचिव द्वारा निर्गत मंत्री मडंलीय निगरानी विभाग के पत्रांक 1342 पटना दिनांक 23.7.1977 के निदेशानुसार इंधन की प्रविष्टि संबंधित गाड़ी के लौग बुक में होनी

चाहिए अन्यथा इंधन का मूल्य जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली योग्य मानी जायेगी। तब तक इंधन एवं मरम्मती पर व्यय की गयी राशि 23813=00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

7. रूपये 2,792=65 की स्टेशनरी खरीद पर व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 02–03 में शीर्ष 2515 'ख' के कार्यालय व्यय अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि स्टेशनरी खरीदने की स्वीकृति नही ली गयी थी। स्टेशनरी खरीद अभिश्रवों पर भंडार प्रविष्टि प्रमाण–पत्र तो अंकित पाया गया मगर स्टेशनरी भंडार पंजी एवं वितरण से संबंधित कोई लेखाभिलेख अंकेक्षण में नही उपलब्ध कराया गया। भंडार पंजी एवं वितरण पंजी के अभाव में खरीद ही संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि जिस किसी भी कारण से अंकेक्षण क्रम में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी उपलब्ध नही कराया गया पुनः प्रयास करके खोज बीन करायी जाय। पंजीयाँ उपलब्ध हो जाने पर विभागीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा खरीद की गयी सामग्रीयों की भंडार प्रविष्टि एवं तत्पश्चात वितरण का सत्यापन कराके फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। इन सामग्रियों की भंडारण एवं वितरण के अभाव में खर्च की गयी राशि रूपये 2792=65 जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली योग्य मानी जायेगी। तबतक यह राशि 2792=65 भंडारण एवं वितरण के आभाव में आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। भंडार प्रविष्टि एवं वितरण नही पायी गयी सामाग्रियों का ब्यौरा निम्नांकित है ।

क्रमांक	विपत्र संख्या	उपाभिश्रव सं0	सामग्रीयों का नाम	मात्रा	मूल्य	भुगतान तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	41/02–03	184/02–03	प्लेन पेपर कार्बन डॉटपेन टी0 ओ0 टी0	20अदद 1 पैकेट 1पीस 1 %	200=00 125=00 15=00 3=40 343=40		
2	41/02–03	186/02–03	कार्बन आई0टीओ0 टी0 ओ0 टी0	1 पैकेट 8 % 1 %	125=00 10=00 1=35 136=35		
3	41/02–03	187/02–03	कागज गोंद टी0 ओ0 टी0	1 रीम 1 बोतल	200=00 34=00 2=34		

					236=34		
4	41/02–03	220/02–03	कागज कार्बन गोंद स्टैप थ्रेड टी0 ओ0 टी0	1 रीम 1 पैकेट 1 पीस 1	200=00 125=00 34=00 12=00 3=71 374=71		
5	41/02–03	315/02–03	अनुक्रमणपंजी आ0 अवकाशपंजी फैन्सी रजिस्टर रजिस्टर टी0 ओ0 टी0	1 पीस 1 पीस 4 पीस 4 पीस 1 %	80=00 35=00 120=00 240=00 4=75 479=75		
6	41/02–03	316/02–03	रजिस्टर टी0 ओ0 टी0	24 पीस 1 %	480=00 4=80 484=80		
7	41/02–03	317/02–03	फ्लाई लीफ टी0 ओ0 टी0	300पीस 1 %	450=00 4=50 454=50		
8	41/02–03	372/02–03	कागज कैश बुक टी0 ओ0 टी0	1 रीम 1 पीस 1 %	200=00 80=00 2=80 282=80		

कुल – 2792=65

क्रमांक 1 से 8 तक का योग रू0
343=40+136=35+236=34+374=71+479=75+484=80+454=50+282=80=**2792=65**

8. रूपये 125775=00 से संबंधित अभिलेख अप्रस्तुत के कारण आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 02–03 की छात्र वृति मद में प्राप्त आबंटन प्रखण्ड स्तर से निकासी कर 11 पंचायतों को छात्रवृति वितरण करने हेतु दी गयी राशि के वितरण पश्चात वितरण पंजी एवं रोकड़ पंजी 5 पाँच पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए । इन पंचायतो को दी गयी छात्र वृति राशि रूपये 125775=00 के वितरण की जाँच नही की जा सकी । इस संबंध मे निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया है कि

जिन पंचायतो द्वारा छात्रवृति वितरण की जाँच नही करायी गयी ,उनसे स्पष्टी करण की माँग की जा रही है। रू0 125775=00 छात्र वृति राशि की विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (च) पर दी गयी है।

इस संबंध मे अंकेक्षण का सुझाव है कि अंकेक्षण में अपना लेखाभिलेख लाकर छात्रवृति वितरण की जाँच नही कराने वाले सभी पंचायत विभागीय सक्षम पदाधिकारी से परिशिष्ट में दी गयी राशि रू0 125775=00 से संबंधित वितरण की जाँच एवं सत्यापन कराकर तत्पश्चात फलाफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तब तक जाँच के अभाव में रू0 125775=00 छात्रवृति मद की राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>परिशिष्ट 'क' कंडिका (ट) से संबंधित</u>

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. प्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1. विपत्र पुस्त – 02–03

2. सहायक रोकड़ पुस्त सभी शीर्षो का – 02–03
3. सामान्य रोकड़ पुस्त – 02–03
4. वेतन भुगतान पंजी शीर्ष 2515 ख – 02–03
5. कन्टीजेन्ट पंजी, अभिश्रव – 02–03
6. नाजीर रसीद – 02–03
7. सुनिश्चित रोजगार योजना पंजी,केश रेकर्डस – 01–02
8. राष्ट्रीय समाजिक/राज्य समाजिक सुरक्षा वृद्धापेन्सन वही एवं अभिश्रव – 02–03
9. इन्दिरा सामान्य आवास, बुनियादी एवं अपग्रेडशन योजना पंजी के साथ केश रेकर्डस – 01–02
10. एस0 जी0 एस0 वाई0 ट्राइसेम लधु सिंचाई – 01–02
11. 2015 निर्वाचन से संबंधित भुगतान पंजी – 02–03
12. मातृत्व अनुदान भुगतान पंजी – 02–03
13. प्रोत्साहन भत्ता वितरण अभिश्रव – 02–03
14. पी0 एम जी0 वाई अपग्रेडेसन,ग्राम आवास प्रोत्साहन भत्ता एवं स्वच्छपेय जल यो0 – 01–02
15. एकादश वित्त आयोग, योजना पंजी केश रेकर्डस – 02–03
16. पंचायत स्तर से वितरित छात्रवृति भुगतान पंजी एवं रोकड़ पुस्त –ग्रा0 पं0राज इन्द्रका ,विदेशी टोला वृन्दावन, जगमलवा,रामचन्द्रपुर एवं छतिवना – 02–03

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. निरीक्षण संचिका – 02–03
2. लेखन भंडार पंजी – 02–03
3. सेवा पुस्त –
4. छात्रवृति वितरण से संबंधित रोकड़ पुस्त एवं भुगतान पंजी – 02–03

(i) ग्राम पंचायत राज बरारी जगदीशपुर

(ii) ग्राम पंचायत राज सेमरा

(iii) ग्राम पंचायत राज एकडेरवा

(iv) ग्राम पंचायत राज लच्छवारा

(v) ग्राम पंचायत राज फालगुनी